संख्या-88/2025/I/1170029/2025/001-71-2099/58/2022

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक-10-12-2025

विषय:-एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ के आवासीय परिसर में विभिन्न सब-स्टेशनों पर स्थापित अलग-अलग क्षमता के ट्रान्सफार्मरों के स्थान पर नये ट्रान्सफार्मर की स्थापना हेतु अवशेष 05 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/अधि0अभि0(वि0)/405/2025, दिनांक 03.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर के आवासीय परिसर के विभिन्न सब-स्टेशनों पर स्थापित अलग-अलग क्षमता के ट्रान्सफार्मरों के स्थान पर नये ट्रान्सफार्मर की स्थापना हेतु अवशेष 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 48.36 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि संस्थान परिसर में आवासीय परिसर के विभिन्न सब-स्टेशनों पर स्थापित अलग-अलग क्षमता के ट्रान्सफार्मरों के स्थान पर नये ट्रान्सफार्मर की स्थापना हेतु शासनादेश दिनांक 10-11-2022 द्वारा परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 967.08 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि रू0 483.54 लाख तथा शासनादेश दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 धनराशि रू0 435.18 लाख इस प्रकार अब तक धनराशि रू0 918.72 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संस्थान परिसर में संस्थान परिसर में आवासीय परिसर के विभिन्न सब-स्टेशनों पर स्थापित अलग-अलग क्षमता के ट्रान्सफार्मरों के स्थान पर नये ट्रान्सफार्मर की स्थापना हेतु परियोजना की अवशेष 05 प्रतिशत की धनराशि रू0 48.36 लाख (रुपये अड़तालीस लाख छत्तीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान की होगी। स्वीकृत धनराशि को किसी भी दशा में बैक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
2. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
3. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु जारी की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-35/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व/वित्त नियंत्रक/निदेशक, संस्थान का होगा।
5. शासनादेश शासनादेश संख्या-134/2022/I/233475/2022, दिनांक-10-11-2022 द्वारा निर्धारित शर्तो/ प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जाएगा तथा बिलो पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 48,36,000 (रुपये अड़तालीस लाख छत्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-88/2025/I/1170029/2025/001-71-2099/58/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0 लखनऊ।
8. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।